2 रु। कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2

215

माननीय म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प भोपाल

निगरानी कंमाक ..../ 19

1 ग्यारसा पुत्र किशोर मृत, निगरानी-0306/2019/सीहोर/भू.रा.
द्वारा उत्तराधिकारीगण,
क. अनार सिह आ0 स्व0ग्यारसा,
ख. श्रीमती सुमत्रा बाई पत्नी स्व0 ग्यारसा,
ग. श्रीमती शिप्रा बाईपुत्री ग्यारसा,50 वर्ष ,
पत्नी रमेश पेठारी,निवासी ग्राम पेठारी,
तह नसरुल्लागज जिला सीहोर ,
ई. श्रीमती राज कला बाई पुत्री ग्यारसा, 45 वर्ष,
पत्नी चम्पालाल बकोरिया ,निवासी ग्राम,रिछारिया जाट,
तह नसरुल्लागज जिला सीहोर,
फ. श्रीमती मना बाई पुत्री ग्यारसा, 43 वर्ष ,
पत्नी रमेशगोर , ग्राम झाली,पो0 लाडकुई,
तह0 नसरुल्लागजं जिला सीहोर म0प्र,
2 किसन लाल पुत्र ग्यारसा,
3 जगदीश पुत्र ग्यारसा,
4 मनोहरआ0 ग्यारसा,
5 रामदास पुत्र ग्यारसा,
6 महेश आ0रामप्रसाद,
7 सुरेश आ0रामप्रसाद,
सभी निवासीगण : ग्राम झाली,पो0 लाडकुई,
तह0 नसरुल्लागजं जिला सीहोर म0प्र0, ... निगरानी कर्ता

299

अभिभावक श्री रामसिंह ..... द्वारा आज दिनांक 3/1/19 को पेश।
अभिलेखक

विरुद्ध

1 काशीराम पुत्र किशोर मृत,
द्वारा उत्तराधिकारीगण,
अ श्रीमती पर्वती बाई पत्नी स्व. काशीराम आयु व्यस्क,
ब विनोद आ0स्व0 काशीराम आयू 30 वर्ष,
स दिनेश आ0स्व0 काशीराम आयू 28 वर्ष,
द विदोष आ0स्व0 काशीराम आयू 26 वर्ष,
निवासीगण : ग्राम झाली,पो0 लाडकुई,
तह0 नसरुल्लागजं जिला सीहोर म0प्र0,
ह. विनिता बाई आ0स्व0 काशीराम आयू 30 वर्ष,
पत्नी नीतेश हरियाले,निवासी बजारी कालोनी,
कोलार रोड , भोपाल,म0प्र0,
2 गजराज सिह पुत्र रामकरण,
दोनो निवासीगण ग्राम झाली,
पो0 लाडकुई ,तह0 नसरुल्लागजं,
जिला सीहोर म0प्र0, ...रेस्पॉडेन्टगण

निगरानी अंतर्गत धारा –50 म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959

अधिनस्त न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महो :–नामान्तरण पंजी क्रमाकं 46 ,,आदेश दिनाक 03/06/2002,

अधिनस्त न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महो प्र0क्र0 03/अपील/2014–2015 दिंनाक 25/07/2016, ग्राम झाली,

यह निगरानी प्रकरण क्रं. 6अ/2016–17, काशीराम व अन्य विरूद्ध ग्यारसा व अन्य में आदेश दिनांक 28/3/18 में पारित द्वारा श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर भोपाल (पीठासीन अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा) अपर आयुक्त,भोपाल,संभाग ,भोपाल, म0प्र0 के आदेश से दुखी होकर निम्न तथ्यों एंव आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है :–

निगरानी के तथ्य

यह कि अपीलार्थी ग्राम झाली तहसील नसरुलागंज जिला सीहोर म0प्र0 जिले के अन्दर एक कृषि भुमि ग्राम झाली मे स्व0 किशोर के नाम भमि सर्वे नम्बर 32 रकबा 6.171 जो उनकी स्वअजित सम्पत्ति थी जिनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी रामकरण,रामप्रसाद एव ग्यारसा के सयुक्त नाम से फोती नामान्तरण मे राजस्व खाते अभिलेख मे वर्ष 1993–94 दर्ज हुई एव रामप्रसाद आ किशोर की मृत्यू उपरान्त भूमि का आपसी सहमति एव कब्जे के आधार पर अपीलार्थी एव रेस्पाडेण्टगण के नाम बटवारा अनुसार दर्ज हो गई जिसका उल्लेख पजीं क्र46 मे तहसीलदार ने दिनाक 3/6/02 को विधिवत कर दिया गया एव उक्त आदेश के विरुद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी नसरुल्लागंज जिला सीहोर मे अपील दिनाक 30/9/14 को 12 वर्ष 6माह बाद की गई जो विचारोउपरान्त स्वीकार की गई एव उक्त आदेश के विरुद्व द्वतीय अपील अति0 रिक्त कमिश्नर भोपाल के समक्ष की जो कि विचारउपरान्त निरस्त की गई उक्त पारित आदेश से दुखित एव असन्तुष्ट होकर यह निगरानी माननीय श्रीमान के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत हे :–

निगरानी के आधार

1 यह कि अधिनस्त विद्ववान अनुविभागीय अधिकारी नसरुल्लागंज जिला सीहोर का आलोच्य आदेश दिनांक 25/7/16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0306 /2019/सीहोर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	आवेदकगण की ओर से श्री रामसिंह ठाकुर, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अंतर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	